न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रमेश चन्द बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/2/21	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 69 रकबा 1.2600 हैक्टयर स्थित ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 घीस्या उर्फ घासीलाल की सहखातेदारी की कृषि भूमि है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त आराजी को आगे वादग्रस्त से सम्बोधित किया जावेगा। आराजी वादग्रस्त को पूर्व में प्रार्थी के पिता लोहडया ने अपने जीवनकाल में कय की थी जिसकी रजिस्ट्री प्रार्थी जो नाबालिंक था व घर में पुकारे जाने वाले नाम रमसी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया तद्नुसार राजस्त अभिलेख में प्रार्थी का नाम रमसी पुत्र लोहडया दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रमेश चन्द पुत्र लोहडया है। प्रार्थी का नाम अन्य रिकार्ड टी.सी., आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व खाता संख्या 10 की जमावन्दी में बैक खाता , अंक तालिका वगैरह मे रमेश चन्द पुत्र लोहडया दर्ज है इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में रमसी अपभ्रस हो रहा है को प्रार्थी रमेश चन्द पुत्र लोहडया दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमि पर ऋण, किसान केडिट कार्ड, रहन गिरवी रखकर अन्य लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मे रमसी दर्ज हो रहा है की जगह रमेश चन्द पुत्र लोहडया दुरूसत करवाने का अधिकारी है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा मे प्रार्थी रमेश चन्द पुत्र लोहडया के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रमसी नाबालिकी मे इन्द्राज हो गया को दुरूस्त किया जाकर वास्तविक नाम रमेश चन्द पुत्र लोहडया दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ आवश्यक हैं। प्रार्थी दिनाक 30-06-2020 को किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने जमाबन्दी मे रमसी नाम होना बताया इस पर प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय लालसोट के यहा राजस्व	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

अभिलेख मे हो रहे गलत नाम को दुरूस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार महोदय ने समक्ष न्यायालय मे कार्यवाही करने हेतू निर्देश दिये जिस पर प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री प्रेमप्रकाश चौधरी एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 69 रकबा 1.2600 हैक्टयर वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी में नाम रमसी पुत्र लोहडया दर्ज किया है जबकि प्रार्थी की अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र व अन्य खातेदारी आदि मे रमेश चन्द पुत्र लोहडया होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी के अशुद्व नाम रमसी पुत्र लोहडया को विलोपित कर उसके स्थान पर रमेश चन्द पुत्र लोहडया शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया । जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 69 रकबा 1.2600 हैक्टयर वाकै ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के अशुद्व नाम रमसी पुत्र लोहडया को विलोपित कर उसके स्थान पर रमेश चन्द पुत्र लोहडया शुद्व किया जाता है इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 26/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी